UPBJ010071292022

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 विजय कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP2413

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या– 479/2022
विपिन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि
06–02–2023

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी।

2. पुकार पर प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. प्रार्थना पत्र ख–5 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. प्रार्थी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ख–5 फौजदारी अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करके फौजदारी अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने की याचना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि उपरोक्त वाद में दिनांक 05–07–2022 साक्ष्य परिवादी नियत थी। परन्तु परिवादी ने उक्त दिनांक को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा वाद में दिनांक 29–07–2022 नियत हो गई। इसी बीच में दिनांक 19–07–2022 को वादी ने अन्तरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र बिना तिथि के दाखिल कर दिया तथा दिनांक 29–07–2022 को परिवादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र दाखिल किया तथा आपत्ति हेतु दिनांक 24–08–2022 नियत हो गयी। दिनांक 24–08–2022 को प्रतिपक्षी ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी तथा उक्त तिथि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15–09–2022 नियत कर दी गयी। जब प्रार्थी दिनांक 15–0'9–2022 को हाजिर अदालत आया तो पता चला कि उक्त पत्रावली में दिनांक 24–08–2022 को अन्तरिम भरण पोषण का आदेश पारित हो गया है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त आदेश का ज्ञान दिनांक 15–09–2022 को हुआ है। प्रार्थी ने अपील दायर करने में जानबूझकर कोई देरी या लापरवाही नहीं की है। उक्त अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षमा किया जाये। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए धारा 05 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान करने की याचना की गयी है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्या[illegible] द्वारा

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2023.02.06 16:33:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकीर्ण वाद संख्या 300/2021 मोनिका बनाम विपिन आदि धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर में पारित आदेश दिनांकित 24–08–2022 के विरूद्ध उक्त फौजदारी अपील दायर की गयी है, उक्त फौजदारी अपील को दायर करने में हुए विलम्ब की माफी के लिए उक्त प्रार्थना पत्र ख–5 धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा देरी के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24–08–2022 का ज्ञान दिनांक 15–09–2022 को हुआ। उसने जानबूझकर कोई देरी अपील दायर करने में नहीं की है। उक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थी विपिन कुमार की ओर से स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. विधि की यह मंशा है कि किसी भी पक्षकार को मात्र तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक मामले को यथासंभव गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त निस्तारित किया जाना चाहिए।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र ख–5 न्यायहित में स्वीकार किये जाने के योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ख–5 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुए उक्त फौजदारी अपील को प्रस्तुत किये जाने में कारित हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली फौजदारी अपील को अंगीकृत एवं पंजीकृत किये जाने के बिंदु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के न्यायालय को प्रेषित की जाये।

पक्षकार दिनांक **14–02–2023** को माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के न्यायालय में उपस्थित हों।

(डॉ0 विजय कुमार)
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

दिनांकः– 06–02–2023